निर्देशिका

एवं

प्रवेश आवेदन–पत्र

सत्र 2018–2019

बप्पा श्री नारायण वोकेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय (के.के.वी.)

लखनऊ

(नैक प्रत्यायित 'बी' ग्रेड)

आवश्यक सूचनायें

(समस्त पाठ्यक्रमों में सहशिक्षा उपलब्ध है)

1. वर्ष 2016, 2017, 2018 में इण्टरमीडिएट/स्नातक या समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित न्यनतम अंक प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन करें।

स्नातक स्तर (प्रवेश मेरिट के आधार पर)
बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0काम (प्रथम वर्ष)

(क)	सामान्य वर्ग (GENERAL)	40%
(ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST)	33%
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	40%

स्नातकोत्तर स्तर (प्रवेश मेरिट के आधार पर)
एम0ए0 (हिन्दी)/एम0ए0 (समाजशास्त्र)/एम0एस–सी0 (जन्तुशास्त्र)

(क)	सामान्य वर्ग (GENERAL)	45%
(ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST)	40%
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	45%

2. संलग्नकः–
स्नातक कक्षाओं के लिये केवल हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। इनके अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रपत्रों की मूल प्रति एवं छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य हैः–
(क) हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र
(ख) इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र
(ग) स्नातक अंकतालिका
(घ) आरक्षण (Reservation) सम्बन्धी कम्प्यूटरीकृत प्रमाण–पत्र
(ड.) भारण (Weightage) सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (उत्कृष्ट खिलाड़ी/एन.सी.सी. 'बी'/'सी' प्रमाण–पत्र धारक अभ्यर्थियों के लिये)
(च) चरित्र प्रमाण पत्र
(छ) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रति
(ज) आधार कार्ड

सामान्य सूचना
विज्ञान, वाणिज्य तथा कला संकायों में स्नातक और परास्नातक स्तर के निम्नलिखित पाठ्यक्रम तथा स्थान उपलब्ध है। अतः प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार वरीयता क्रम के विषय समूह आवेदन पत्र में अंकित करें। पाठ्यक्रम शासनादेशानुसार परिवर्तनीय होगा।

विज्ञान संकाय (स्नातक स्तर) उपलब्ध स्थान 700 सीटें नियमित एवं 80 सीटें (SF) स्ववित्तपोषित

क्र0सं0	ग्रुप	विषय समूह	उपलब्ध स्थान
01	PCM	PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS	300
02	PMG	PHYSICS, MATHEMATICS, GEOLOGY	50
03	ZBC	ZOOLOGY, BOTANY, CHEMISTRY	320
04	ZBG	ZOOLOGY, BOTANY, GEOLOGY	30

वाणिज्य संकाय (स्नातक स्तर)
बी0काम विषय में उपलब्ध स्थान – 240 सीटें (SF)

कला संकाय (स्नातक स्तर) उपलब्ध स्थान 700 सीटें नियमित
महाविद्यालय में कला संकाय में उपलब्ध विषयों में बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिये अभ्यर्थियों को कला के तीन विषयों का चयन करना है।
नोट (1):–
(क) प्राचीन भारतीय इतिहास/इतिहास/अरब कल्चर विषयों में में केवल एक ही विषय चयनित करना होगा।
(ख) हिन्दी/प्रयोजनमूलक हिन्दी विषयों में में केवल एक ही विषय चयनित करना होगा।
इस संदर्भ में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा बनाया गया कोई नया ग्रुप मान्य होगा।
नोट (2):–

(क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 12 सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद तथा नदवा कॉलेज, लखनऊ से इण्टरमीडिएट की परीक्षा (अॅग्रेजी विषय के साथ) उत्तीर्ण छात्र भी प्रवेश हेतु अर्ह हैं।

(ख) कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–ल0वि0वि0 / प्रवेश / एफ–32 सं0 5545–604, दि0 08.02.07 के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की मध्यमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मानते हुये मध्यमा उत्तीर्ण (अॅग्रेजी विषय के साथ) छात्रों को बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश की मान्यता प्रदान की गयी है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त अन्य डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण–पत्र समकक्षता के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कोई मान्यता प्रदान नही की गयी है।

(ग) अध्यापक एवं अन्य सुविधाओं के अनुपात में ही छात्रों को विषय आवंटित किया जा सकेगा।

परास्नातक स्तर

एम0ए0 (हिन्दी) उपलब्ध स्थान – 60 सीटें (SF) स्ववित्तपोषित

एम0ए0 (समाजशास्त्र) उपलब्ध स्थान – 60 सीटें (SF) स्ववित्तपोषित

एम0एस–सी0 (जन्तुशास्त्र) उपलब्ध स्थान – 30 सीटें (SF) स्ववित्तपोषित

आरक्षण तथा भारण

अभ्यर्थी का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी को शासनादेश / विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आरक्षण तथा भारण अनुमन्य है। विवरण इस प्रकार है :

नोट – केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को स्पोर्ट्स कोटे का लाभ मिलेगा :–

(क) जिनके पास राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य स्तर पर खेलने का प्रमाण पत्र हो।

(ख) जिनके पास खेल–निदेशालय का प्रमाण पत्र हो।

(ग) सभी खेल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कालेज क्रीड़ा समिति के संयोजक से कराया जा सकता है।

(घ) दूसरे राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थी की श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाएगा।

(ड.) अभ्यर्थी उपरोक्त भारण एवं आरक्षण श्रेणियों में से केवल एक ही श्रेणी का लाभ ले सकता है। क्रम संख्या 4 से 9 तक के आरक्षण का लाभ स्थान की उपलब्धता के आधार पर सक्षम अधिकारी की संस्तुति पर प्रवेश समिति द्वारा दिया जायेगा।

(च) उपरोक्त भारण एवं आरक्षण का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी से प्राप्त (हस्ताक्षर एवं मोहरयुक्त) प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। भारण एवं आरक्षण का प्रमाण–पत्र, आवेदन पत्र के साथ ही स्वीकार किया जायेगा। बाद में तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(छ) शासन के नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर रिक्त स्थान उपरोक्त क्रमवार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे ।

चेतावनी :

(क) महाविद्यालय का यह अधिकार सुरक्षित है कि :
(i) बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दे ।
(ii) किसी भी स्थिति में प्रवेश नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर दे।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं अथवा अनुचित साधनों के आधार पर अथवा त्रुटिवश प्रवेश पाता है तो जिस समय भी ये तथ्य उद्घाटित होंगे, यह उसका दुष्कृत्य माना जायेगा एवं उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही शून्य माना जायेगा और उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

आवश्यक निर्देशः–

1. महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा नही है। प्रवेश मिलने पर छात्र को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
2. महाविद्यालय में सभी कक्षाओं में **सहशिक्षा की व्यवस्था है**। अतः सभी कक्षाओं में छात्र एवं छात्रायें दोनों ही प्रवेश ले सकते हैं।
3. नियमानुसार छात्र / छात्राओं की अपनी कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। जिन छात्र / छात्राओं की कक्षा में इससे कम उपस्थिति होगी वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह नही होगें, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं छात्र / छात्राओं का होगा।
4. अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
5. अनुत्तीर्ण छात्र / छात्रा एवं अनुचित साधन (U.F.M.) में का प्रयोग करते पकड़े गये छात्र / छात्रा का पुनः प्रवेश नियमित छात्र के रूप में नही होगा।
6. जो अभ्यर्थी कहीं नौकरी में होगें उन्हें नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. उत्तर प्रदेश शासन / निदेशालय / ल0वि0वि0 द्वारा सत्र के मय में यदि शुल्क में संशोधन किया जाता है तो छात्र को संशोधित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
8. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र / छात्राओं को अनिवार्य रूप से निर्धारित यूनीफार्म में ही महाविद्यालय आना होगा। बिना यूनीफार्म के प्रवेश वर्जित होगा।
   गर्मियों में छात्रों की यूनीफार्म – सफेद कमीज एवं कॉफी ब्राउन पैंट
   गर्मियों में छात्राओं की यूनीफार्म – सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा एवं कॉफी ब्राउन कुर्ता
   सर्दियों में उपरोक्त के साथ काला ब्लेजर / काला स्वेटर
9. महाविद्यालय परिसर में आपके पास महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र अवश्य होना चाहिये। परिचय पत्र हस्तान्तरणीय नही है। महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जा सकेंगी।

10. परिसर में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपको महाविद्यालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. महाविद्यालय परिसर या अध्ययन कक्ष में धूम्रपान/पान मसाला/खुटखा/तम्बाकू का सेवन वर्जित है, पकड़े जाने पर रू0 500/– जुर्माना देय होगा साथ ही दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
12. महाविद्यालय में शस्त्र लाना वर्जित है।
13. महाविद्यालय सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाना दण्डनीय अपराध है। पकड़े जाने पर सम्बन्धित छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
14. महाविद्यालय स्टैण्ड पर ही अपने वाहनों को खड़ा करें जिसके लिये कोई शुल्क देय नही है।
15. परिचय पत्र/फीस रसीद/लैब कार्ड/लाईब्रेरी कार्ड खो जाने की दशा में रू0 100/– एकाउण्ट आफिस में जमा कर द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
16. परीक्षा के उपरान्त परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित शुल्क जमा कर अगली कक्षा में अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। विलम्ब की स्थिति में रू0 500/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

    नोटः–

    1– शुल्क लखनऊ विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गमित नियमों के अनुसार प्रभावी होगा और स्नातक/परास्नातक कक्षाओं हेतु निर्धारित शुल्क प्रवेश के समय यदि परिवर्तित किया जायेगा तो उसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।

    2– अन्य विश्वविद्यालयों से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं को नामांकन शुल्क रू0 1000/– अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

Add-on Courses
(छात्रोपयोगी–रोजगारपरक विभिन्न शैक्षिक योजनायें)

1- Add-on Certificate Course in GST.
2- Value added Course in Gemmology – Identification and Significance of Precious stones.
3- Value added Course in Geological Techniques and its Applications.
4- Value added Course on “Laboratory Techniques”
5- Value added Course on “Aquaculture and its Entrepreneurship”

नोट– चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बन्धी फीस जमा करने के बाद निर्धारित दिनांक पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी अन्यथा उसका चयन महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गयी फीस किसी भी दशा में वापस नही होगी। फीस जमा करने मात्र से आपका प्रवेश सुनिश्चित नही माना जायेगा।

चेतावनी

रैगिंग एक अपराध है। इसमें लिप्त विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Ragging is an offence and strict disciplinary action will be taken against the students found indulged in this act.

महाविद्यालय की निर्देशिका महाविद्यालय की वेबसाइट **www.bsnvpgcollege.in** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित शुल्क रू0 700/– आनलाइन जमा कर उसकी मूल रसीद प्रवेश के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।